न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2024

(पंचायत) निगरानी संख्या 18 / 24
जीसीएम संख्या :–2024 / 170
बउनवानी:– 1. राजकवंर पुत्री नन्द सिंह नरूका जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र नन्द किशोर दत्तक पुत्र रामस्वरूप राजपूत निवासी प्लॉट नम्बर 195 प्रेमनगर (प्रथम) गुर्जर की थडी जयपुर राजस्थान
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 858 मे जारी पटटा दिनांक 5.5.2016 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अजय शेखर दवे — वकील प्रार्थी
2. श्री श्रीदास सिंह राजावत — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.4.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 858 मे जारी दिनांक 5.5.2016 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के ताऊजी श्री हरिशचन्द्र नरूका व उनकी पत्नि की मृत्यु बिना किसी संतान के हो गयी थी, श्री हरिशचन्द्र जी ने अपने जीवनकाल में अपने भतीजे इन्द्रराज सिंह पुत्र नन्द सिंह को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। किन्तु हरीशचन्द्र के छोटे भाई स्व0 श्री रामस्वरूप ने जातिपंचो को अपने प्रभाव मे लेकर मृतक हरीशचन्द्र की पगडी दस्तुर का एक झूठा दस्तावेज तैयार कर लिया। ग्राम पंचायत ने इसी दस्तावेज को बिना जॉचव साक्षय के सही मानकर मृतक हरीशचन्द्र के पटटेशुद्वा मकान का पटटा अपने नाम बनवा लिया। अतः उक्त निर्णय 5.5.2016 तथ्यों व विधि के प्रतिकूल ,अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित होने खारिज होने योग्य है। विवादित मकान स्व0 श्री हरिशचन्द्र पुत्र शिव दयाल की पटटेशुद्वा सम्पत्ति थी जिसमे विपक्षी मृतक रामस्वरूप के पक्ष मे कोई वसीयत या अन्य अधिकार पत्रा नही लिखा तो भी ग्राम पंचायत ने मृतक रामस्वरूप को स्व0 हरिशचन्द्र का वारिस मानते हुए उनके नाम पटटा स्थानान्तरित कर अहम भूल की है। सम्पत्ति के पटटेदार मालिक हरिशचन्द्र जी के कोई पुत्र–पुत्री संतान नही थी उन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.4.1995 को अपने भतीजे इन्द्रराज सिह पुत्र नन्द सिंह को दत्तक पुत्र स्वीकार करने का एक शपथपत्र लिखा था जिसके अनुसार मृतक हरिशचन्द्र की सम्पति का एक मात्र वारिस इन्द्रराज सिंह था चूंकि इन्द्रसिंह ने दत्तक पुत्र की हैसियत से उन्हे अर्जित होने वाली सम्पत्ति के संबंध में दिनांक 10.8.2020 को एक वसीयत नामा लिखकर श्री हरिशचन्द्र से मिलने वाली सभी चल अचल सम्पति का मालिक प्रार्थीया को बना दिया था। अतः प्रार्थीया इन्द्रराज की मृत्यु के पश्चात विवादित सम्पति की एक मात्र मालिक है। ग्राम पंचायत ने बिना मौके पर जॉच या साक्ष्य लिए ही पटटा स्थानान्तरण की कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत को किसी की सम्पति के अधिकार या टाईटल तय करने का अधिकार नही है इसलिए उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा पटटा स्थानान्तरण करने से पूर्व मौके पर कब्जे व अधिकार के संबंध में कोई जॉच नही की गयी है। जबकि वास्तविकता यह है उक्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज है तथा मकान मे वह अपनी मॉ व परिवार के साथ निवास कर रही है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित आदेश गुप्त तरीके से किया है। उकत पटटा परिवर्तन की कार्यवाही मृतक रामस्वरूप के प्रार्थना पत्र दिनांक 7.8.2010 के अनुसार किया गया है जिसमे उसने स्वंय को मृतक हरिशचन्द्र की पगडी बंधने के आधार पर उनकी चल अचल सम्पत्ति का मालिक होना अंकित किया जबकि विरासत का मुद्दा किसी इच्छा पत्र आदि के अभाव में बिना विस्तृत साक्ष्य तय नही किया जा सकता है। केवल पगडी बंधने से किसी व्यक्ति को मृतक की सम्पत्ति मे कानूनी विरासत या अधिकार नही मिलता है।

.....(1).....

Scanned with OKEN Scanner

वसीयत के आधार पर उक्त सम्पत्ति का वारिस इन्द्रराज सिंह व प्रार्थीया है । आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी विपक्षी द्वारा उक्त सम्पति को बेचने की सुगबुगाहट से प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत मे जाकर रामस्वरूप के नाम से पटटा होने की जानकारी प्राप्त करने पर माह सितम्बर,2024 मे जानकारी प्राप्त होने पर अक्टूबर,2024 मे नकल प्राप्त होने पर जानकारी से निगरानी अन्दर मयाद मय दफा–5 के पेश की गयी है। अतः ग्राम पंचायत की पत्रावली संख्या 858 दिनांक 5.9.2014 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा विपक्षी के मृत दत्तक पिता रामस्वरूप के नाम जारी पट्टा निरस्त करने की कृपा करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 7.8.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष अपने भाई श्री हरिशचन्द्र के नाम बने हुए अपने पुश्तेनी मकान का एवं शेष बचे हुए पुस्तैनी मकान का पटटा बनवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर पत्रावली संख्या 858 दिनांक 7.8.2010 को संघारित की जाकर समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाकर अप्रार्थी रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा इकरारनामा पगडी दस्तूर दिनांक 5.9.2014 को 3200 रूपये विकास शुल्क एवं 200 रू पटटा शुल्क दिनांक 15.9.2014 को जमा करवाने के उपरान्त भी पटटा जारी नही होने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 22.4.2016 को हल्का चपरासी के साथ मौका देखा जाकर निर्णय दिनांक 5.9.2014 की पुनः पुष्टि की जाकर दिनांक 5.5.2016 को पटटा जारी किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथाावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि आदेश जैर अपील पटटा दिनांक 5.5.2016 को अप्रार्थी रामस्वरूप सिंह पुत्र श्योदयाल सिंह नरूका निवासी चौथ का बरवाडा के पक्ष जारी किया गया है। उक्त पटटा अप्रार्थी के पित रामस्वरूप द्वारा मृतक हरिशचन्द्र के पूर्व पटटा दिनांक 22.7.1965 के पुश्तैनी मकान का एवं शेष बचे हुए पुश्तैनी मकान का बनाया गया है। जबकि ऐसे प्रकरणो मे पूर्व पटटाधारी श्री हरिशचन्द्र के सभी वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर सभी वारिसान के नाम से अथवा सभी सहमति से किसी एक के नाम पटटा ट्रान्सफर की कार्यवाही की जानी चाहिए थी किन्तु केवल मात्र एक पगडी बंधने की रश्म वाले इकरारनामे के आधार पर उक्त पटटा अप्रार्थी के पिता रामस्वरूप के नाम बनाया गया है जो विधिसम्मत नही है। इसके अतिरिक्त उक्त पटटा जारी करने से पूर्व जारी आपत्ति नोटिस किसके सामने कब चस्पा किया गया स्पष्ट नही है। यह भी स्पष्ट नही है कि मौका निरीक्षण हेतु कोई कमेटी बनाई गयी है? कौन–कौन वार्ड पंच कमेटी के सदस्य बनाये गये है स्पष्ट नही है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह पाया जाता है कि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थीया को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा) को इस निर्देश के साथ (Remand) प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीया को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार पटटा ट्रान्सफर की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4..2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner